Vol. 7, Issue 4, January 2018 ISSN 2249-894X

REVIEW OF RESEARCH

An International Multidisciplinary Peer Reviewed & Refereed Journal

Impact Factor: 5.2331

UGC Approved Journal No. 48514

Chief Editors
Dr. Ashok Yakkaldevi
Ecaterina Patrascu
Kamani Perera

Associate Editors
Dr. T. Manichander
Sanjeev Kumar Mishra

REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2018

शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद–21(क) की अवधारणा

प्रो.(डॉ.) बी.पी.तिवारी[1] , डॉ अभिषेक पचौरी[2]
[1]पूर्व प्राध्यापक एवं प्राचार्य शासकीय विधि महाविद्यालय (भोपाल) एवं
प्राचार्य श्री सत्य सांई महिला विधि महाविद्यालय भेल म.प्र.
[2]प्राचार्य स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एलएनसीटी निजी विश्व विद्यालय कोलार रोड भोपाल म.प्र.

सारांशः–
प्रत्येक राष्ट की सरकार अपने प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा देश के बच्चों के प्रति अपने दायित्व निर्वाहन के क्रम में केन्द्र सरकार ने बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (The Right of Children to free and compulsory education act, २००९) का विनियमन किया है, बिना शिक्षा के कोई भी नागरिक अपने अन्य मूल अधिकारों को उपयोग नही कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा मानव को मानव बनाती है और उसका सार्वभौमिक विकास करती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद – २१(क) के अन्तर्गत मूल अधिकार एवं बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, २००९ के पश्चात् यह महत्वपूर्ण बिन्दु है कि इसे किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाय। आज देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और ६ से १४ वर्ष के बालकों की संख्या अब करोड़ों से ऊपर है। राज्य के पास वर्तमान पाठशालाओं के संचालन के लिए ही धन नही है। राज्य अब केवल विद्यालयों को मान्यता दे रही है, वित्तीय सहायता नही। अधिकांश माध्यमिक शिक्षा के स्कूल निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित है, जहां निःशुल्क शिक्षा की कोई व्यवस्था नही है।

कुंजी शब्द (key words) –
(१) निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, २००९, (२) संविधान का अनुच्छेद–२१(क), अनुच्छेद–४५, (३) ६ से १४ वर्ष के बालक, (४) सार्वभौमिक घोषणा पत्र का अनुच्छेद–२६, (५) ८६वां संविधान संशोधन, (६) मोहिनी जैन एवं उन्नी कृष्णन का वाद

भूमिका

अनुच्छेद–२१(क) के अन्तर्गत मूल अधिकार एवं बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ बनने के पश्चात् यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस अधिनियम को कैसे क्रियान्वित किया जायेगा। भारत की जनसंख्या आज करीब १२० करोड़ से ज्यादा है और ६ वर्ष से १४ वर्ष के बालकों की संख्या भी करोड़ों में है। अधिकांश माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय निजी व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे है, जहां निःशुल्क शिक्षा की कोई व्यवस्था नही हैं। शिक्षा के अधिकार के मूल अधिकार हो जाने के कारण एक व्यक्ति इसके क्रियन्वयन कराने के लिए न्यायालय जा सकता है और न्यायालय सरकार को आदेश दे सकता है, किन्तु यदि किसी स्थान पर विद्यालय ही नही खुले है और खुल है तो अध्यापक नही है तो शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त करना एक दिव्य स्वप्न ही प्रतीत होता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार की मान्यता प्रदान की हैं। शिक्षा के अधिकार को

मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र (Universal Declaration of Human Rights) के अनुच्छेद–२६ में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा की धारा–१४ में स्थान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्कों (UNSCO) एवं अन्य अंग शिक्षा के अधिकार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विधिक प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करते है।

प्रत्येक राष्ट्र की सरकारें अपने प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विधियों तथा देश के बच्चों के प्रति अपने दायित्व निर्वहन के प्रयास के क्रम में केन्द्र सरकार ने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, २००९ (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, २००९) का विनियमन किया है, जिसे दिनांक २६ अगस्त, २००९ को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम १ अप्रैल २००९ से लागू हो गया है। इस अधिनियम को पारित करने के पूर्व, इस अधिनियम हेतु संविधान में समुचित प्रावधान करने के उद्देश्य से ८६वां संविधान संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया था।

शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है, किसी भी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की सरकार की सफलता वहां के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को जहां विकसित करता है और साथ अपने देश को भी विकास की ओर आगे बढ़ने में योगदान करता है। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने सभी बालकों को शिक्षा देने का कर्तव्य संविधान मे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भाग–प्ट में उल्लेखित किया है। संविधान के अनुच्छेद–४५ के अधीन राज्य को १४ वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य था। यह माना गया था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारे संविधान के इस निर्देश को ईमानदारी से क्रियान्वित करेंगी। नीति निर्देशकों को मूल अधिकारों से कम महत्व नही दिया गया है। डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा था कि निर्देशक तत्व एक पवित्र घोषणा मात्र नही है, बलिक एक संविधानिक दायित्व है और उन्हें लागू न करने पर सरकारों को जनता के समक्ष जवाब देना पड़ेगा और कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा नही कर सकती है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की प्रमुख विशेषताएं –
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की संक्षेप में निम्न विशेषताएं है –

१.भारत के ६ से १४ वर्ष तक की आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा,
२.कक्षा १ से कक्षा ८ तक की शिक्षा ''प्राथमिक शिक्षा'' के रूप में परिभाषित,
३.प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नही जायेगा, निकाला नही जायेगा या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की जरूरत नही होगी,
४.ऐसा बच्चा जिसकी उम्र ६ वर्ष से ऊपर है, जो किसी स्कूल में प्रवेश नही लिया है अथवा है भी, तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नही कर पाया/पायी है, तब उसे उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि सीधे से प्रवेश लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के अन्दर विशेष प्रशिक्षण दी जानी होगी, जो प्रस्तावित हो। प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश लेने वाला बच्चा/बालिका को १४ साल की आयु के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
५.प्रवेश के लिए आयु का साक्ष्य प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चे की आयु का निर्धारण उसके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण कानून, १८५६ या ऐसे ही अन्य दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा, जो उसे जारी किया गया हो। आयु प्रमाण नही होने की स्थिति में किसी बच्चे को प्रेवश लेने से वंचित नही किया जा सकता।
६.प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्र को प्रमाण पत्र दिया जाएगा,
७.एक निश्चित शिक्षक छात्र अनुपात की सिफारिश,
८.जम्मू–काश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू होगा,
९.आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए सभी निजी विद्यालयों में कक्षा १ में प्रवेश लेने के लिए २५ प्रतिशत का आरक्षण,
१०.शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार,

११.स्कूल शिक्षक को पांच वर्षो के अन्दर समुचित व्यावसायिक उपाधि प्राप्त कर लेना होगा, अन्यथा उनकी सेवाएं समाप्त हो जायेगी,
१२.विद्यालय का बुनियादी ढांचा (जहां यह एक समस्या है) ३ वर्षो के भीतर सुधारा जाए, अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी,
१३.वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच (५५:४५ के अनुपात में) साझा (हिस्सा) किया जाएगा।

यह सही है कि सरकार द्वारा ६ से १४ वर्ष के बालकों हेतु शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया, किन्तु इसके पश्चात् भी स्थिति में कोई सुधार नही आया। सभी ओर से शिक्षा के अधिकार को प्रवर्तित करने की मांग की जाती रही है, इसके फलस्वरूप बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम में कुल ३८ धाराये है।

धारा–३ में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धारा–६ में समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य अधिरोपित किया गाय है। धारा–१० में माता–पिता पर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिम शिक्षा हेतु बालक का प्रवेश दिलाए। धारा–३१ में बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनीटर करने का उपबन्ध किया गया है। अन्त में राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद् के गठन एवं राज्य सलाहकार परिषद् के गठन का उपबन्ध किया गया है।

विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय–समय पर निर्णित निर्णय के माध्यम से शिक्षा के अधिकार पर सरकार को समुचित निर्देश दिये जाते रहे है। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम १९९२ में मोहिनी जैन के प्रकरण में अनुच्छेद–२१ की व्याख्या कर शिक्षा के अधिकार को मानव गरिमा के साथ जीवन का अनिवार्य भाग माना है।

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य(१) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए अभिनिर्धारित किया है कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद–२१ के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है।

इस वाद में कर्नाटक राज्य ने राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा ली जाने वाली शिक्षण शुल्क को विनियमित करने के प्रयोजन से ''कर्नाटक एजुकेशन इन्सटीट्यूशन (प्रोहीबिशन ऑफ कैपिटेशन फीस) एक्ट, १९८३ पारित किया। इसके अन्तर्गत एक अधिसूचना द्वारा विभिन्न छात्रों के लिए निम्नलिखित दर से शिक्षण शुल्क निर्धारित कर दिया। सरकारी कोटे के स्थानों के लिए २००० रूपये, कर्नाटक राज्य के छात्रों के लिए २५,०००/– रूपये और कर्नाटक के बाहर के छात्रों के लिए ६०,०००/– रूपये प्रतिवर्ष।

याचिका कर्ता कु० मोहिनी जैन जो उत्तरप्रदेश की निवासी थी, प्रवेश के लिए आवेदन किया, किन्तु निर्धारित शुल्क ६०,०००/– रूपये न देने के कारण उसे प्रवेश से इन्कार कर दिया गया। याचिका कर्ता ने उक्त अधिनियम की विधि मान्यता को चुनौती दी। याचिका कर्ता ने यह तर्क लिया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद–२१ के अधीन एक मूल अधिकार है और महाविद्यालय द्वारा इतनी अधिक शुल्क निर्धारित करने के कारण उसे इस अधिकार से वंचित किया गया था। अतः उक्त अधिनियम असंवैधानिक था।

उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद–२१ के अन्तर्गत ''जीवन'' के अधिकार में शिक्षा पाने का अधिकार भी एक मूल अधिकार है और महाविद्यालयों द्वारा कैपिटेशन शुल्क लेना, नागरिकों को इस अधिकार से वंचित करता है अतः वह अवैध है।

कैपिटेशन शुल्क के कारण गरीब छात्र शिक्षा पाने से वंचित रह जाता है और धन एवं अयोग्य छात्र उसे आसानी से प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का संविधानिक दायित्व हैं शिक्षा भारत में कभी भी विक्रय या बेचने की चीज नही रही है। बिना शिक्षा के कोई भी नागरिक अपने अन्य मूल अधिकारों का पूर्ण उपयोग नही कर सकता है। अतः शिक्षण संस्था द्वारा लिये जाने वाली कैपिटेशन शुलक असंवैधानिक और अवैध है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य(२) के प्रकरण में ६ वर्ष से १४ वर्ष के बच्चों में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। इस वाद में महाविद्यालय के प्रबन्धकों ने मोहिनी जैन के मामले में दो न्यायाधीश की पीठ द्वारा दिये गये निर्णय पर पुर्नविचार करने के लिए आवेदन दिया। उनका अभिकथन था कि यदि मोहिनी जैन के निर्णय को लागू किया जाता है तो उन्हे मेडिकल कॉलेज और

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को बंद करना पड़ेगा।

न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने ३–२ (न्यायाधीश श्री बी.पी.जीवन रेड्डी, श्री पंडियन और न्यायाधीश श्री एस.मोहन) ने बहुमत से मोहिनी जैन में दिये गये इस मत की पुष्टि की कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद–२१ के अधीदन एक मूल अधिकार है और सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का उत्तरदायित्व है, किन्तु उस पर एक परिसीमा लगा दिया गया कि वह अधिकार १४ वर्ष के बच्चों के लिए ही सीमित है। उच्च शिक्षा के मामलों में यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा। मोहिनी जैन के इस निर्णय को भी न्यायालय ने नही माना कि कैपिटेशन शुल्क प्रत्येक परिस्थिति में असंवैधानिक है।

यह आवश्यक नही है कि शिक्षा देने का उत्तर दायित्व केवल शासकीय महाविद्यालयों के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति निजी संस्थाओं को अनुमति देकर भी हो सकती है। ऐसे महाविद्यालयों के आरंभ करने के लिए शासकीय महाविद्यालयों से कुछ अधिक शिक्षण शुल्क लेना पड़ता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा का व्यय बहुत बढ़ गया है। यह व्यय राज्य नही दे सकता है।

निजी शैक्षणिक संस्थानों को यह धन छात्रों से ही मिल सकता है। मोहिनी जैन का निर्णय सही नही है कि इन महाविद्यालयों द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से कुछ रकम अधिक लेना कैपिटेशन शुल्क है। ऐसा निर्णय एक असंभव शर्त लगाता है, जो आज के परिपेक्ष्य में असंभव है। निजी शैक्षणिक संस्थाये आज के सन्दर्भ में एक आवश्यकता बन गई है, किन्तु हमें देखना है कि उन पर उचित नियंत्रण रखा जाए, ताकि शिक्षा का व्यवसायीकरण न हो सके।

राज्य उनके द्वारा ली जाने वाली शुल्क को विनियमित करे। राज्य की अनुमति से एक निश्चित शुल्क लिया जाना कैपिटेशन शुल्क नही कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण नही किया जा सकता है और महाविद्यालयों में प्रबन्धक कोटा के आधार पर प्रवेश नही दिया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में दो प्रकार के स्थान होंगे, एक निःशुल्क स्थान (Free Seat) और दूसरा सशुल्क स्थान (Payment Seat) और दोनो में प्रवेश योग्यता (Merit) के आधार पर ही किया जा सकेगा। शुल्क वाले स्थान के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा शुल्क निर्धारित किया जायेगा। उच्च परिषदो में मान्यता प्राप्त या संबंध व्यवसायिक शिक्षा देने वाले महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक विस्तृत योजना विहित किया।

अल्प संख्यक शिक्षण संस्थाओं से संबंधित टी.एम.ए. फाउन्डेशन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक[३] उच्चतम न्यायालय के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की ।। सदस्यीय संविधान पीठ ने उन्नी कृष्णन बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य मामले में कैपिटेशन और छात्रों के प्रवेश से संबंधित निर्णय को उलट दिया।

एक अन्य वाद उन्नी कृष्णन पी.जे. बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य[४] में उच्चतम न्यायालय के दूसरे वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि शुल्क देने वाले ५० प्रतिशत स्थानों में ५ प्रतिशत स्थान अप्रवासी (N.R.I.) भारतीय छात्रों के लिए भी होगा, जिन्हे महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा द्वारा योग्यता के आधार पर प्रवेश देगा।

सहाल एच. मुरलीधर बनाम केरल राज्य[५] उक्त वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि कुछ अल्पमत संस्थाओं भी उन्नीकृष्णन योजना नही लागू की जायेगी और कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाओं में उसमें आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होगी। कोई संस्था अल्पमत संस्था है या नही इसका निर्णय सरकार करेगी।

अन्य अल्पमत संस्थाओं में शासन द्वारा पूर्ति किये जाने वाले ५०: में से आधे स्थान ''सशुल्क होंगे और आधे'' निःशुल्क स्थान होंगे। इसी प्रकार ५०: महाविद्यालय द्वारा भरे जाने वाले ५०: में से आधे स्थान ''निःशुल्क और सशुल्क'' वाले होंगे। इस योजना के अनुसार प्रवेश पूर्ण होने के बाद प्रत्येक महाविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय से वह संबंध है और राज्य सरकार को उसकी सूची भेजेगा और उसकी सत्यता की जांच करेगे और किसी अनियमितता के पाये जाने पर उसे ठीक कराने का निर्देश देगा।

नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइण्ड बनाम लोक सेवा आयोग[६] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि शारीरिक रूप से विकलांग (Visually handicapped) (अन्धे या अर्द्ध–अन्धे) व्यक्तियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरियों में प्रतिद्धंदिता करने का हक है तथा सरकार का यह दायित्व है कि इसके लिए उन्हे ब्रेल लिपि या लेखक की सहायता उपलबध कराये। ऐसे व्यक्ति हमारे समाज के एक

महत्वपूर्ण अंग है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी साझीदारी के लिए उन्हे उत्साहित करना चाहिए।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में एन.कोमोन बनाम मणिपुर राज्य(६) का मामला भी महत्वपूर्ण है।

इस वाद में याचिका कर्ता कोमल यावी गांव का चेयरमैन था। एक शासकीय स्कूल गांव में था। यह गांव चांगनिंग गांव का हिस्सा था। एक भारी तूफान से स्कूल का भवन गिर गया। चैयरमैन कोमल थावी गांव के स्कूल के भवन को बनवाने हेतु संबंधित अधिकारियों से मिला और अनुरोध किया। इसी बीच अधिकारियों ने सरकारी स्कूल कोमल थावी से हटाकर लिवो चांवनिंग गांव में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। याचिका कर्ता ने याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए निवेदन किया कि उसके गांव का स्कूल दूसरे गांव में स्थानांतरित न किया जाए।

उपसंहार

शिक्षा किसी भी सम्य समाज की मूलभूत अवधारणा है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा से ही समाज को सम्य बनाया जा सकता है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम १ अप्रैल २०१० से पूर्ण रूप से लागू है। इस अधिनियम के तहत ६ से लेकर १४ वर्ष के सभी बालकों के लिए शिक्षा को पूर्णतः निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के सक्रिय क्रियन्वयन से सरकार पर सभी बच्चों के निःशुल्क पढ़ाई जिम्मेदारी लिए कानूनी बाध्यता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सभी को मुहैया कराये। इस अधिनियम से देश के बालकों को साक्षर एवं अधिकार संपन्न बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आज भी प्राथमिक पाठशालाओं में मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

अधिनियम के तहत जहां शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया है, वहीं इस अधिकार की मंशा है कि देश का कोई भी बालक स्कूल जाने से वंचित न रहे। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाये, तो इसकी वास्तविकता कुछ ओर है। आज भी हम सभी अपने आसपास अनेक मासूम बालकों को चाय की दूकानों एवं होटल में कप–प्लेट एवं बर्तन साफ करते देख सकते है। सरकार का प्रयास इस अधिनियम के परिपेक्ष्य में मासूम बालकों को स्कूल का रास्ता दिखाना है। सरकार या अभिभावक इस प्रयास को अकेले सफल नही बना सकते है। समाज के सभी वर्गो के सामूहिक प्रयास से ही शिक्षा के अधिकार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा सामूहिक प्रयास नही हुआ तो अन्य कानूनों की तरह शिक्षा का अधिकार अधिनियम मात्र कानून के पुस्तकों में सिमट कर रह जायेगा।

संदर्भ सूची –

१. (१९९२) ३ एस.सी.सी. ६६६
२. (१९९३) ४ एस.सी.सी. ६४५
३. ए.आई.आर. २००३ एस.सी.३५५
४. (१९९३) ४ एस.सी.सी. ०१११
५. (१९९३) ४ एस.सी.सी. ११२
६. (१९९३) ४ एस.सी.सी.४१
७. ए.आई.आर. २०१० मणिपुर